

# कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-3/9719/2014-15/32-34 दिनांक 11-07-2014

जिला शिक्षा अधिकारी,  
प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा -

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी,  
पंचायत समिति -

विषय:-शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत निजी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 की द्वितीय किस्त के पुनर्भरण हेतु बजट आवंटन।

विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) में किये गये प्रावधानों की पालना में राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षण हेतु प्रवेश के उपरान्त वर्ष 2013-14 की द्वितीय किस्त के पुनर्भरण के लिए विभिन्न लेखामदों में राशि का आवंटन संलग्न प्रपत्रके अनुसार किया जा रहा है।


क्र.स.	बजट मद	योग आवंटित राशि सहस्र रूपयों में
1	2202-01-800-14-00-57 (आयोजना व्यय)	16137.015
2	2202-01-789-04-00-57 (आयोजना व्यय)	6444.406
3	2202-01-796-11-00-57 (आयोजना व्यय)	12082.228
	<b>योग</b>	<b>34663.649</b>

(तीन करोड़ छियालीस लाख तरेसठ हजार छः सौ उनचास मात्र)

आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार एवं आवंटित राशि की सीमा में इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा-प्रारं/आरटीई/युनिट कास्ट/18882/13-14/102 दिनांक 22.05.2014 द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से करते हुए किया जावे।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.एफ.एम.एस के अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक किये गये आय व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।


संलग्न-उपरोक्तानुसार कार्यालय वार सूची।

  
लेखाधिकारी,  
11.7.2014

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. निजी सचिव, निजी अनुभाग(निदेशक महोदय)।
4. अनुभाग अधिकारी, शिक्षा का अधिकार अनुभाग को उनकी अ.टि.क्रमांक शिविरा-प्रारं/आरटीई/सी/पुनर्भरण/बजट आवंटन/18890/13-14/111 दिनांक 08.07.2014 के क्रम में।
5. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान/योजना अनुभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

  
लेखाधिकारी,  
11.7.2014

**कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर**

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-3/आर.टी.ई./2014-15/32-34 दिनांक 11-07-2014

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में प्रविष्ट दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालको के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु द्वितीय किस्त के लिए राशि आवंटन

मांग संख्या-24 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 800-अन्य व्यय, (14)-शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को पुनर्भरण [00], 57-विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय (आयोजना व्यय)


क्र.स.	आफिस आई.डी.	कार्यालय का नाम	आवंटित राशि सहस्र रूपयों में
1	1407	बी.ई.ई.ओ. मसूदा (अजमेर)	439.596
2	1413	बी.ई.ई.ओ. पीसांगन (अजमेर)	2157.396
3	1415	बी.ई.ई.ओ. रायपुर (भीलवाड़ा)	409.601
4	1416	बी.ई.ई.ओ. माण्डल (भीलवाड़ा)	1152.693
5	1417	बी.ई.ई.ओ. सहाड़ा (भीलवाड़ा)	651.845
6	1418	बी.ई.ई.ओ. शाहपुरा (भीलवाड़ा)	779.473
7	1424	बी.ई.ई.ओ. कोटड़ी (भीलवाड़ा)	1456.200
8	1696	बी.ई.ई.ओ. जयपुर शहर पश्चिम	3971.216
9	11216	जि.शि.अ. माध्यमिक शिक्षा प्रथम सीकर	4771.110
10	1467	बी.ई.ई.ओ. रतनगढ़ (चूरू)	347.885
		<b>योग</b>	<b>16137.015</b>

(रु. एक करोड़ ईकसठ लाख सैतीस हजार पन्द्रह मात्र)

मांग संख्या-51 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना, (04)-शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुनर्भरण [00], 57-विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय (आयोजना व्यय)

क्र.स.	आफिस आई.डी.	कार्यालय का नाम	आवंटित राशि सहस्र रूपयों में
1	1640	बी.ई.ई.ओ. हिण्डोनसिटी (करौली)	1066.584
2	1642	बी.ई.ई.ओ. टोडाभीम (करौली)	1285.125
3	1639	बी.ई.ई.ओ. सपोटरा (करौली)	520.175
4	1477	बी.ई.ई.ओ. हनुमानगढ़	3572.522
		<b>योग</b>	<b>6444.406</b>

(रु. चौसठ लाख चवालीस हजार चार सौ छः मात्र)

  
 लेखाधिकारी, 11.7.2014  
 प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,  
 बीकानेर

**कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर**


क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/ बजट / बी-3 / आर.टी.ई. / 2014-15 / 32-34 दिनांक 11-07-2014.

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में प्रविष्ट दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालको के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु द्वितीय किस्त के लिए राशि आवंटन

मांग संख्या-30 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, (11)-शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुनर्भरण [00], 57-विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय (आयोजना व्यय)

क्र.स.	आफिस आई.डी.	कार्यालय का नाम	आवंटित राशि सहस्त्र रूपयों में
1	1449	बी.ई.ई.ओ. सराडा (उदयपुर)	932.392
2	1660	बी.ई.ई.ओ. भीण्डर (उदयपुर)	1176.023
3	1673	बी.ई.ई.ओ. चित्तौड़गढ़	2291.777
4	1676	बी.ई.ई.ओ. गंगरार (चित्तौड़गढ़)	387.245
5	1678	बी.ई.ई.ओ. भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)	365.460
6	1683	बी.ई.ई.ओ. डूंगला (चित्तौड़गढ़)	420.245
7	1679	बी.ई.ई.ओ. कपासन (चित्तौड़गढ़)	370.285
8	1682	बी.ई.ई.ओ. भदेसर (चित्तौड़गढ़)	685.550
9	1688	बी.ई.ई.ओ. धरियावाद (प्रतापगढ़)	282.489
10	1669	बी.ई.ई.ओ. आसपुर (डूंगरपुर)	1399.153
11	1672	बी.ई.ई.ओ. सागवाड़ा (डूंगरपुर)	1742.643
12	1664	बी.ई.ई.ओ. सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा)	239.752
13	1666	बी.ई.ई.ओ. बागीदौरा (बांसवाड़ा)	605.627
14	1667	बी.ई.ई.ओ. गढ़ी (बांसवाड़ा)	1183.587
		<b>योग</b>	<b>12082.228</b>

(रु. एक करोड़ बीस लाख बयासी हजार दो सौ अठाईस मात्र)

  
 लेखाधिकारी,  
 प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,  
 बीकानेर